MAINS MATRIX

TABLE OF CONTENT

1. **"2013 का एक ऐतिहासिक कानून, 2025 में रीढ़ की हड्डी चाहता है"**
2. **"एआई के युग में पर्सनैलिटी राइट्स को समझना"**
3. **"पिछले दो दशकों में 80% से अधिक देशों ने चीन से ऋण लिया"**
4. **"ड्राफ्ट बीज विधेयक क्या है?"**
5. **तमिलनाडु में पुलिस बल प्रमुख के चयन को लेकर विवाद**
6. **Publish or Perish: भारत में शोध धोखाधड़ी महामारी की समझ**

"2013 का एक ऐतिहासिक कानून, 2025 में रीढ़ की हड्डी चाहता है"

1. संदर्भ एवं प्रकरण की पृष्ठभूमि

- चंडीगढ़ के एक कॉलेज के प्रोफेसर को POSH अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की जाँच के बाद बर्खास्त किया गया।
- शिकायत 12 सितंबर 2024 को दर्ज की गई थी, आरोप सिद्ध पाए गए।
- मामले को "न्याय हुआ" के रूप में सराहा गया, लेकिन इससे उजागर हुईं महत्वपूर्ण समस्याएँ:
    - कम दोषसिद्धि दर (low conviction rates)
    - क्रियान्वयन में गंभीर कमियाँ
    - विशेषकर शैक्षणिक संस्थानों में न्याय देने में असंगतियाँ

---

2. POSH अधिनियम में मुख्य समस्याएँ

A. वैचारिक (Conceptual) कमियाँ

1. 'सहमति' की त्रुटिपूर्ण अवधारणा

- "Consent" और "Informed Consent" के बीच स्पष्ट विभाजन नहीं है।
- निम्न स्थितियों में प्राप्त सहमति **वैध नहीं** होती:
    - मनोवैज्ञानिक दबाव
    - भावनात्मक दुरुपयोग
    - शक्ति असमानता (power imbalance)
    - अपूर्ण जानकारी
- POSH अधिनियम इन महत्वपूर्ण पहलुओं को नहीं छूता:
    - सूचना असमानता
    - शक्ति का दुरुपयोग

- भावनात्मक निर्भरता का चालाकीपूर्ण उपयोग

2. भावनात्मक उत्पीड़न (Emotional Abuse)

- भावनात्मक उत्पीड़न अधिनियम के दायरे में नहीं आता।
- हेरफेरयुक्त संबंध गंभीर मानसिक आघात पहुंचा सकते हैं, पर कानूनी रूप से "उत्पीड़न" नहीं माने जाते।

B. प्रक्रियात्मक एवं संचालन संबंधी कमियाँ

1. अस्पष्ट भाषा एवं स्पष्ट समयसीमा का अभाव

- इन पहलुओं पर स्पष्ट निर्देश नहीं:
  - शक्ति-असमान संबंधों में क्या उत्पीड़न माना जाएगा
  - "प्रतिवादी" (Respondent) की सटीक परिभाषा
  - शिकायत दर्ज करने की समयसीमा
  - संस्थानों के बीच रिपोर्टिंग तंत्र

2. सीमा-काल (Limitation Period) की समस्या

- ICC अक्सर शिकायत तीन माह में दर्ज करने पर जोर देता है।
- परंतु पीड़ित अक्सर देरी करते हैं, कारण:
  - भय
  - सामाजिक शर्म
  - प्रतिवादी के साथ निरंतर संपर्क
- देर से प्रमाण सामने आ सकते हैं; आघात के कारण शिकायत में हिचकिचाहट होती है।
- अत्यधिक कठोर समयसीमा पीड़ित की बजाय **दोषियों** के पक्ष में जाती है।

3. "Malicious Complaints" प्रावधान की समस्याएँ

- उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना था।
- परंतु इसे अक्सर **धमकी** के रूप में प्रयोग किया जाता है, वास्तविक पीड़ितों को डराने के लिए।
- इससे दोबारा आघात (retraumatisation) होता है।

4. अंतर-संस्थागत उत्पीड़न (Inter-Institutional Harassment)

- जब दुर्व्यवहार कई संस्थानों में फैला हो, तो कोई संयुक्त तंत्र मौजूद नहीं।
- संस्थान बदलकर आरोपी "बच निकलने" में सक्षम हो जाता है।

---

3. डिजिटल साक्ष्य एवं तकनीकी कमियाँ

A. आधुनिक उत्पीड़न की प्रकृति

- संदेश गायब हो सकते हैं।
- फ़ोटो हटाई जा सकती हैं।
- एन्क्रिप्टेड चैट्स साक्ष्य संग्रह को जटिल बनाती हैं।

B. ICC से अव्यावहारिक अपेक्षाएँ

ICCs के पास आमतौर पर नहीं होती:

- डिजिटल फॉरेंसिक की विशेषज्ञता
- अद्यतन साक्ष्य-प्रबंधन प्रोटोकॉल
- डिजिटल उत्पीड़न की प्रामाणिकता जांचने के उपकरण

C. अनिवार्य तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता

- समिति सदस्यों को अक्सर:
  - डिजिटल उत्पीड़न की समझ नहीं
  - इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को संभालने का डर
- परिणामस्वरूप महिलाएँ **व्हिस्पर नेटवर्क** (अनौपचारिक चेतावनी प्रणालियाँ) बनाती हैं, संस्थागत विफलताओं के कारण।

---

4. पीड़ितों पर प्रभाव

- शिकायत दाखिल करना भावनात्मक रूप से थकाने वाला होता है।
- रिपोर्टिंग में देरी के कारण:
  - प्रतिशोध का भय
  - संस्थागत अनिच्छा
  - मानसिक आघात
- प्रक्रियात्मक देरी और संस्थागत असंवेदनशीलता पीड़ा को और बढ़ाती है।

---

5. लेख में सुझाए गए सुधार

POSH अधिनियम को चाहिए:

1. अधिक स्पष्ट और सुसंगत भाषा
2. शिकायत दर्ज करने की लंबी समयसीमा
3. भावनात्मक एवं डिजिटल उत्पीड़न की औपचारिक मान्यता
4. मजबूत जाँच उपकरण
5. डिजिटल साक्ष्यों की अद्यतन परिभाषाएँ और प्रोटोकॉल
6. ICC के लिए अनिवार्य तकनीक-केंद्रित प्रशिक्षण

MENTORA IAS "YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

7. अंतर-संस्थागत शिकायतों के लिए विशेष तंत्र
8. "Malicious Complaints" प्रावधान में दुरुपयोग-रोधी सुरक्षा

---

6. केंद्रीय तर्क

- POSH अधिनियम (2013) एक बड़ा ऐतिहासिक कदम था, पर व्यवहार में कई स्तरों पर विफल हो रहा है।
- 2025 में इसे मजबूत करने की अत्यंत आवश्यकता है:
  - केवल समितियों के विवेक पर निर्भर न रहे
  - संरचनात्मक रूप से पीड़ित-केंद्रित और तकनीकी रूप से अद्यतन तंत्र शामिल हों
- जब तक व्यापक सुधार नहीं होता, POSH एक प्रतीकात्मक कानून बनकर रह जाएगा—मजबूत सुरक्षा प्रणाली नहीं।

HOW TO USE IT

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act) एक ऐतिहासिक विधिक उपलब्धि थी। परंतु एक दशक से अधिक समय बाद भी इसकी कार्यान्वयन क्षमता अवधारणात्मक अस्पष्टता, प्रक्रियात्मक कमियों और डिजिटल उत्पीड़न जैसी आधुनिक वास्तविकताओं के अनुरूप समायोजन की कमी के कारण गंभीर रूप से प्रभावित है। इस अधिनियम को सशक्त बनाना केवल कानूनी सुधार नहीं, बल्कि सुशासन और नैतिक दायित्व का प्रश्न है, ताकि सुरक्षित कार्यस्थल और वास्तविक लैंगिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्य प्रासंगिकता: GS Paper II (Governance, Social Justice)

---

1. केंद्र और राज्य सरकारों की कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ तथा उनका प्रदर्शन

कैसे उपयोग करें:

POSH को कार्यरत महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण कानून के रूप में विश्लेषित करें।

मुख्य बिंदु:

(a) कार्यान्वयन घाटा (Implementation Deficit):

लेख में कानून के उद्देश्य और उसके परिणामों के बीच व्यापक अंतर को दर्शाया गया है—

• "निम्न दोषसिद्धि दर"

• "कार्यान्वयन में गंभीर कमियाँ"

यह एक क्लासिक उदाहरण है कि प्रगतिशील कानून भी ज़मीनी स्तर पर न्याय नहीं दे पाते।

(b) संस्थागत कमजोरी (Institutional Weakness):

आंतरिक शिकायत समितियों (ICCs) की विफलताएँ—

• प्रशिक्षण की कमी

• कठोर समय-सीमाएँ

• डिजिटल साक्ष्य को संभालने में असमर्थता

—यह दर्शाती हैं कि लागू संस्थान कमजोर हैं और प्रणालीगत विफलता मौजूद है।

---

2. कमजोर वर्गों की सुरक्षा और उत्थान के लिए बने तंत्र, कानून, संस्थान और निकाय

कैसे उपयोग करें:

ICCs को प्राथमिक प्रतितोष संस्थान के रूप में आलोचनात्मक दृष्टि से परखें।

मुख्य बिंदु:

(a) ICC में संरचनात्मक त्रुटियाँ:

ICCs में—

• परिभाषाओं की अस्पष्टता

• डिजिटल फॉरेंसिक क्षमता का अभाव

• "झूठी शिकायत" धारा का दुरुपयोग

—इन सबके कारण वे सुरक्षात्मक संस्था के बजाय बाधक बन जाती हैं।

(b) अंतर-संस्थागत समन्वय का अभाव:

जब शिकायतें कई संस्थानों से जुड़ी हों, तो कोई स्पष्ट तंत्र नहीं है।

इससे आरोपी जिम्मेदारी से बच निकलता है।

यह संस्थागत ढांचे में एक गंभीर समन्वय और अधिकार-क्षेत्र की कमी को दर्शाता है।

मुख्य प्रासंगिकता: GS Paper IV (Ethics, Integrity & Aptitude)

---

1. Ethics and Human Interface

कैसे उपयोग करें:

लेख का मुख्य विषय सहमति, शक्ति और न्याय जैसे नैतिक अवधारणाओं से जुड़ा है।

मुख्य बिंदु:

(a) वास्तविक सहमति बनाम औपचारिक सहमति:

"शक्ति असमानता" या "भावनात्मक दबाव" से प्राप्त सहमति नैतिक रूप से वैध नहीं होती।

यह स्वायत्तता, गरिमा और मानव मूल्य जैसे नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है।

(b) भावनात्मक उत्पीड़न का अभाव:

कानून में भावनात्मक उत्पीड़न को मान्यता न मिलना एक कानूनी और नैतिक कमी है, जबकि इसका आघात अत्यंत वास्तविक और गहरा होता है।

---

2. Attitude (रवैया)

कैसे उपयोग करें:

समाज और संस्थानों के रवैये POSH की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं।

मुख्य बिंदु:

(a) "झूठी शिकायत" धारा का हथियारीकरण:

यह महिलाओं के प्रति गहरे अविश्वास, पूर्वाग्रह और कलंक को दर्शाता है।
शिकायतकर्ता पुनः-आघात (re-traumatization) का शिकार होती हैं।

(b) संस्थागत झिझक:

देर से रिपोर्टिंग, शर्म, और संस्थान की निष्क्रियता—ये सभी संरचनात्मक और मानसिकता से जुड़े अवरोध हैं।

---

3. Emotional Intelligence

कैसे उपयोग करें:

ICCs के सुधार को भावनात्मक बुद्धिमत्ता कौशल से जोड़ें।

मुख्य बिंदु:

• ICC सदस्यों को —

- **उच्च सहानुभूति (Empathy)**: आघात-प्रभावित विलंब या व्यवहार को समझने के लिए
- **सामाजिक कौशल (Social Skills)**: बिना और आघात पहुँचाए जाँच करने के लिए

—अनिवार्य रूप से विकसित करने चाहिए।

---

4. Probity in Governance

कैसे उपयोग करें:

POSH के प्रभावी कार्यान्वयन को सभी संस्थानों की नैतिक जवाबदेही से जोड़ें।

मुख्य बिंदु:

• सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करना हर नियोक्ता और सार्वजनिक संस्था का **मूलभूत दायित्व** है।
• वर्तमान विफलताएँ सुशासन, नैतिक आचरण और संस्थागत उत्तरदायित्व में कमी को दर्शाती हैं।

"एआई के युग में पर्सनैलिटी राइट्स को समझना"

---

1. पृष्ठभूमि एवं ट्रिगर घटनाएँ

अभिनेता अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने निम्न के खिलाफ मुकदमा दायर किया:

- गूगल
- यूट्यूब

आरोप: एआई द्वारा निर्मित वीडियो उन्हें काल्पनिक, अशोभनीय या हानिकारक

परिस्थितियों में दिखाते हैं, जो उनके *पर्सनैलिटी राइट्स* का उल्लंघन है।

उन्होंने मांग की:

- क्षतिपूर्ति
- यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय कि भविष्य के एआई मॉडल ऐसे कंटेंट पर प्रशिक्षित न हों

---

2. केंद्रीय मुद्दा

एआई तकनीक — विशेषकर डीपफेक — निम्न सीमाओं को धुंधला करती है:

- वास्तविकता बनाम छल
- पहचान बनाम हेरफेर
- गोपनीयता बनाम आर्थिक शोषण

यह पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा में कानूनी खामियों को उजागर करता है।

---

3. पर्सनैलिटी राइट्स क्या हैं?

पर्सनैलिटी राइट्स में व्यक्ति के निम्न पर नियंत्रण का अधिकार शामिल है:

- नाम
- छवि
- समानता/लाइक्स
- आवाज
- अन्य पहचान-सूचक तत्व

ये अधिकार संरक्षित करते हैं:

- गरिमा
- स्वायत्तता
- पहचान से जुड़ी आर्थिक मूल्य

ये अधिकार गोपनीयता, गरिमा और आर्थिक हितों पर आधारित हैं और किसी भी प्रकार के व्यावसायिक या शोषक उपयोग से रक्षा करते हैं।

---

4. एआई से बढ़ता जोखिम

एआई नवाचारों ने जोखिम कई गुना बढ़ा दिए हैं:

- डीपफेक के माध्यम से भ्रामक सूचना प्रसार
- पहचान से छेड़छाड़
- ब्लैकमेल/उगाही
- भरोसे का क्षरण
- पहचान के दुरुपयोग से उत्पन्न आत्म-हानि
- मृत व्यक्तियों की नकली डिजिटल प्रतिकृतियाँ

---

5. कानूनी परिदृश्य (वैश्विक और भारतीय)

A. भारत की कानूनी स्थिति

भारत *गोपनीयता-आधारित + संपत्ति-आधारित* दोनों मॉडल अपनाता है।
अभी तक कोई स्वतंत्र कानून नहीं है।

मुख्य भारतीय मामले

- **पुट्टस्वामी (2017):** गोपनीयता को मौलिक अधिकार घोषित किया।
- **Titan बनाम रामकुमार ज्वैलर्स (2012):** पर्सनैलिटी राइट्स मान्यता प्राप्त।
- **अमित कपूर बनाम सिंपली लाइफ इंडिया (2023):** अभिनेता की पहचान के एआई पुनरुत्पादन की रक्षा।
- **अरिजीत सिंह बनाम कैडिबल वेंचर्स (2024):** गायक की आवाज के एआई पुनर्निर्माण पर रोक।

कमियाँ

लागू करने में बाधाएँ:

- डीपफेक बनाने वालों की गुमनामी
- सीमापार डिजिटल सामग्री
- आईटी अधिनियम 2000 व 2024 के दिशानिर्देश केवल *प्रतिक्रियात्मक* हैं।

B. संयुक्त राज्य अमेरिका

- पर्सनैलिटी राइट्स को *संपत्ति अधिकार* के रूप में देखा जाता है।
- **Topps Chewing Gum (1953)** — महत्वपूर्ण मामला।
- 2024 में **Tennessee ELVIS Act** — आवाज या छवि के अनधिकृत एआई उपयोग पर प्रतिबंध।

चुनौती:
पहचान सुरक्षा बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (First Amendment).

C. यूरोपीय संघ

- *गरिमा आधारित मॉडल* अपनाता है।
- **GDPR (2016)** — व्यक्तिगत व बायोमेट्रिक डेटा प्रोसेसिंग के लिए सहमति अनिवार्य।
- **EU AI Act (2024):**
  - डीपफेक "उच्च जोखिम" श्रेणी में।
  - अनिवार्य वॉटरमार्किंग।
  - पारदर्शिता व नियमन।

D. चीन

2024 — बीजिंग इंटरनेट कोर्ट निर्णय:

- एआई-निर्मित आवाजें उपभोक्ताओं को भ्रमित नहीं कर सकतीं।

- पहचान की प्रतिकृति व्यक्तित्व हितों का उल्लंघन।
- दुरुपयोग पर क्षतिपूर्ति।

---

6. विद्वानों के विचार एवं नैतिक आयाम

मानव–एआई संबंध अब छूते हैं:

- नैतिकता
- डिजिटल पर्सनहुड
- सांस्कृतिक पहचान

UNESCO (2021):

- एआई के लिए अधिकार-आधारित ढाँचा आवश्यक।
- पहचान का शोषण नहीं होना चाहिए।

नई शोध प्रवृत्तियाँ

पर्सनैलिटी राइट्स का दायरा बढ़ा:

- पहचान का अनुचित अधिग्रहण
- एआई-प्रेरित शोषण
- मरणोपरांत पहचान की रक्षा

भारतीय विद्वान सुझाव देते हैं:

- डीपफेक को उच्च-जोखीम श्रेणी में डालना
- मृत व्यक्तियों की पहचान की प्रतिकृति पर नियंत्रण
- व्यक्तिगत पहचान को आंशिक रूप से विरासत योग्य मानना

---

7. सामने आए प्रणालीगत मुद्दे

- वैश्विक स्तर पर बिखरा हुआ कानूनी ढाँचा
- सीमापार एआई प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय कानूनों की सीमाएँ
- प्रवर्तन चुनौतियाँ:
  - गुमनामी
  - डेटा का सीमापार प्रवाह
  - प्लेटफॉर्म की जवाबदेही कम

---

8. नीति सुझाव (लेख के अनुसार)

भारत को जिस कानून की आवश्यकता है, वह:

- पर्सनैलिटी राइट्स की स्पष्ट परिभाषा दे
- एआई आधारित दुरुपयोग (डीपफेक, सिंथेटिक आवाज, प्रतिकृति) को शामिल करे
- एआई वॉटरमार्किंग अनिवार्य करे
- प्लेटफॉर्म जिम्मेदारी तय करे
- वैश्विक सहयोग के उपाय दे

- इंटरमीडियरी की जवाबदेही मजबूत करे
- उच्च-जोखिम एआई श्रेणियाँ निर्धारित करे
- कलाकारों/क्रिएटर्स को अनधिकृत एआई उपयोग से बचाए

सरकार की वर्तमान पहल:

2024 का *ड्राफ्ट एडवाइजरी* समस्या स्वीकार करता है, परंतु प्रवर्तन में कठोरता नहीं है।

---

9. मुख्य तर्क

एआई तेजी से मानव पहचान को "कमोडिटी" में बदल रहा है।
स्पष्ट कानूनों के अभाव में पर्सनैलिटी राइट्स शक्तिशाली एआई सिस्टम और वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म के सामने अप्रभावी हो रहे हैं।

भारत को *प्रतिक्रियात्मक* ढाँचे से *प्रोएक्टिव* ढाँचे की ओर बढ़ना होगा।

HOW TO USE IT

यह स्थिति पर्सनैलिटी राइट्स—अर्थात् *अपनी पहचान पर नियंत्रण का अधिकार*—को पुनर्परिभाषित और मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है, ताकि सीमाहीन साइबर दुनिया में मानव गरिमा, गोपनीयता और आर्थिक हितों को डिजिटल शोषण से बचाया जा सके।

मुख्य संदर्भ: GS Paper III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सुरक्षा)

---

1. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी—इसके विकास, उपयोग और दैनिक जीवन पर प्रभाव

कैसे उपयोग करें:

यह लेख मुख्यतः तकनीकी आयाम को स्पष्ट करता है। एआई वह विघटनकारी (disruptive) शक्ति है जो समस्या उत्पन्न कर रही है।

मुख्य बिंदु:

द्वि-उपयोगी (Dual-Use) तकनीक

डीपफेक जैसी एआई तकनीकें दो प्रकार से उपयोग हो सकती हैं:

- रचनात्मक उद्देश्यों में (जैसे फिल्म निर्माण)
- दुष्प्रयोग में (जैसे गलत सूचना, मानहानि, अश्लील सामग्री बनाना)

नियमन की गति पीछे है

तकनीक, कानून से तेज विकसित होती है।
लेख स्पष्ट करता है कि भारत का **आईटी एक्ट 2000** और **2024 की इंटरमीडियरी गाइडलाइंस** एआई आधारित पहचान-चोरी जैसी नई चुनौतियों से निपटने में *अपर्याप्त और प्रतिक्रियात्मक* हैं।

---

2. संचार नेटवर्कों के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, मीडिया/सोशल मीडिया की भूमिका

कैसे उपयोग करें:

एआई-सक्षम पहचान दुरुपयोग को आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रस्तुत करें।

मुख्य बिंदु:

सामाजिक ताने-बाने पर खतरा

डीपफेक का प्रयोग किया जा सकता है:

- गलत सूचना फैलाने में
- हिंसा भड़काने में
- ब्लैकमेल और चरित्र-हनन में

यह **सार्वजनिक व्यवस्था** को प्रभावित करता है और संस्थाओं पर जनता का **विश्वास कमजोर** करता है।

सीमापार चुनौती

- डीपफेक बनाने वाले अक्सर अज्ञात रहते हैं
- यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म सीमापार चलते हैं
- लागू करवाना साइबर सुरक्षा और कूटनीति दोनों के लिए जटिल चुनौती है

मुख्य संदर्भ: GS Paper II (शासन, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध)

---

1. सरकार की नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में हस्तक्षेप

कैसे उपयोग करें:

नए नीति/विधायी ढाँचे की आवश्यकता को रेखांकित करें।

मुख्य बिंदु:

नीतिगत कमी

भारत में व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) पर **विशिष्ट स्वतंत्र कानून नहीं है**।
लेख के "नीति सुझाव" शासन के लिए प्रत्यक्ष रोडमैप प्रदान करते हैं:

- अधिकारों की स्पष्ट परिभाषा
- डीपफेक के लिए अनिवार्य वॉटरमार्किंग
- प्लेटफॉर्म दायित्व तय करना

कमज़ोर प्रवर्तन

सरकार की **2024 ड्राफ्ट एडवाइजरी** सही दिशा में कदम है,
लेकिन इसका *कठोर प्रवर्तन अभाव* शासन में कमी को दर्शाता है।

---

2. शासन के महत्वपूर्ण पहलू

कैसे उपयोग करें:

तेजी से बदलती तकनीक को नियंत्रित करने की चुनौती बताएं।

मुख्य बिंदु:

नियामकीय कठिनाइयाँ

लेख में उल्लिखित मुख्य शासन-चुनौतियाँ:

- वैश्विक स्तर पर खंडित कानूनी ढाँचा
- प्लेटफॉर्म की दायित्व-छूट
- बहु-न्यायक्षेत्रीय (cross-jurisdictional) मुद्दे

इससे निपटने के लिए **अंतरराष्ट्रीय सहयोग** और **टेक-डिप्लोमेसी** आवश्यक है।

---

3. भारत और इसके अंतरराष्ट्रीय संबंध

कैसे उपयोग करें:

भारत की प्रतिक्रिया को वैश्विक संदर्भ में रखें।

मुख्य बिंदु:

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख

लेख अंतरराष्ट्रीय तुलना देता है:

- **अमेरिका (संपत्ति आधारित मॉडल):** Tennessee का *ELVIS Act*.
- **यूरोपीय संघ (गरिमा आधारित मॉडल):** GDPR, AI Act — उच्च-जोखिम वर्गीकरण, वॉटरमार्किंग।

भारत अपने **संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप एक हाइब्रिड मॉडल** विकसित कर सकता है।

GS Paper IV (नैतिकता) से संबंध

मानव–एआई अंत:क्रिया में नैतिकता

- बिना अनुमति के, हानिकारक डिजिटल प्रतिकृतियाँ बनाना **स्वायत्तता** और **गरिमा** का उल्लंघन है।
- यह *टेक-नैतिकता (Tech Ethics)* का मूल प्रश्न है।

शासन में ईमानदारी (Probity in Governance)

एक सिविल सेवक के लिए चुनौती:
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पहचान-सुरक्षा के अधिकार में संतुलन कायम रखना।

उभरती तकनीकों के **नैतिक और जिम्मेदार** नियमन का निर्माण शासन की जवाबदेही का हिस्सा है।

"पिछले दो दशकों में 80% से अधिक देशों ने चीन से ऋण लिया"

---

1. समग्र अवलोकन

2000 से 2023 के बीच, चीन ने **$2 ट्रिलियन से अधिक** ऋण और अनुदान दिए।
दुनिया के **80% से अधिक देशों/क्षेत्रों** ने कम-से-कम एक बार चीन से ऋण या अनुदान प्राप्त किया।

चीन के ऋण देने के स्वरूप में बदलाव:

- **पहले:** विकासात्मक/बुनियादी ढाँचा सहायता
- **अब:** वाणिज्यिक ऋण, विशेषकर उच्च-आय वाले देशों को

---

2. प्रमुख निष्कर्ष

A. चीन का वैश्विक ऋण पदचिह्न

- चीन ने 160+ देशों में **2,500+ परियोजनाओं** को लगभग **$200 बिलियन** दिए।
- लगभग **95% ऋण** दिए गए:
  - सरकारी बैंकों
  - चीनी नीति बैंकों
  - चीनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के माध्यम से

विश्व के सबसे बड़े ऋणदाता:

1. चीन (सबसे बड़ा)
2. विश्व बैंक
3. IMF

मुख्य परिवर्तन

- **2013 से पहले:** ऋण विकासशील देशों/BRI देशों को
- **2013 के बाद:** वाणिज्यिक ऋणों में भारी वृद्धि

2023 तक:

- उच्च-आय वाले देश = **75%** ऋण
- निम्न/मध्यम-आय वाले देश = **25%**

---

3. सबसे बड़े लाभार्थी देश (2000–2023)

प्रमुख देश जिन्होंने सबसे अधिक धन प्राप्त किया:

- **संयुक्त राज्य अमेरिका – $209.1 बिलियन**
- **रूस – $171.2 बिलियन**
- **भारत – $161.1 बिलियन**
- **ऑस्ट्रेलिया – ~$130+ बिलियन**
- कज़ाखस्तान
- ब्राज़ील
- तुर्किये
- यू.के.
- अर्जेंटीना
- सऊदी अरब

महत्वपूर्ण:
अमेरिका को मिले **75% से अधिक ऋण वाणिज्यिक** थे, विकासात्मक नहीं।

---

4. ऋण देने के पैटर्न से मिली अंतर्दृष्टियाँ

A. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)

- प्रारंभ में, चीन के लगभग **75% ऋण** BRI के अंतर्गत थे।
- 2023 तक, इनकी हिस्सेदारी घटकर **~25%** रह गई।

B. वाणिज्यिक फोकस

चीन अब अधिकतर ऋण देता है:

- उच्च-आय वाले देशों को
- ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, खनन, रियल एस्टेट क्षेत्रों में

इसका फोकस:

- अल्पकालिक वाणिज्यिक वापसी
- अधिक लाभ (high returns)

---

5. क्षेत्रीय वितरण (2000–2023)

विश्व मानचित्र (Map 1) के अनुसार:

चीन के ऋण/अनुदान लगभग सभी महाद्वीपों में फैले हैं।
सबसे अधिक केंद्रित क्षेत्र:

- उत्तरी अमेरिका
- दक्षिण एशिया
- मध्य एशिया
- सहारा-के-दक्षिणी अफ्रीका
- लैटिन अमेरिका

---

6. चार्ट अंतर्दृष्टियाँ

चार्ट 1: देशों के अनुसार ऋण प्रतिबद्धताएँ

सबसे अधिक ऋण प्राप्त करने वाले:

- अमेरिका (~$209B)
- रूस (~$171B)
- भारत (~$161B)

इसके बाद: ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कज़ाखस्तान, तुर्किये, यू.के. आदि।

चार्ट 2: उच्च-आय vs निम्न/मध्यम-आय देशों को ऋण

- **2000–2013:** अधिकांश ऋण निम्न/मध्यम-आय देशों को
- **2013–2023:** उच्च-आय वाले ऋणों में तेज वृद्धि
- **2023:**
  - उच्च-आय वाले देश = **75%**
  - कम आय वाले = **25%**

---

7. चीन की रणनीतिक बदलाव

A. जोखिमग्रस्त देशों से पीछे हटना

पहले चीन का भारी एक्सपोज़र था:

- लैटिन अमेरिका
- अफ्रीका
- दक्षिण एशिया

डिफ़ॉल्ट बढ़ने से चीन ने रणनीति बदली।

B. अब ध्यान केंद्रित:

- स्थिर, समृद्ध अर्थव्यवस्थाएँ
- कम-जोखिम वाले ऋणग्राही
- वाणिज्यिक लाभ
- विदेशों में रणनीतिक अधिग्रहण

C. घरेलू कारण

चीन की अर्थव्यवस्था में:

- मंदी
- रियल एस्टेट संकट
- स्थानीय मांग में गिरावट
- उद्योगों में ओवरकैपेसिटी

इन कारणों से चीनी बैंक विदेशी निवेश से बेहतर रिटर्न ढूँढ रहे हैं।

---

8. जोखिम, आलोचनाएँ व प्रमुख मुद्दे

विकासशील देशों में **ऋण-निर्भरता** की चिंता।

चीन पर आरोप:

- अपारदर्शी ऋण
- संसाधन-आधारित (resource-backed) ऋण
- ऋण-पुनर्गठन में चीनी हितों को प्राथमिकता

रिपोर्ट में उल्लेखित आरोप:

- "गुप्त (backdoor) तरीके से विदेशी संपत्तियों का अधिग्रहण"
- ऑफशोर खातों के माध्यम से मुनाफ़ा बाहर ले जाना

---

9. भारत-विशिष्ट बिंदु

- भारत ने **$161.1 बिलियन** प्राप्त किए
- चीन के शीर्ष 5 वैश्विक ऋण-ग्राहकों में शामिल
- यह चीन–भारत आर्थिक जुड़ाव की गहराई दर्शाता है,
  भले ही भू-राजनीतिक तनाव मौजूद हों

---

10. मुख्य संदेश

चीन चुपचाप **दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता** बन गया है—
विश्व बैंक और IMF से भी आगे।

उसकी ऋण-नीति अब *विकासात्मक* नहीं बल्कि *वाणिज्यिक और लाभ-केंद्रित* हो गई है, जहाँ उच्च-आय वाले देश अब प्रमुख ऋण प्राप्तकर्ता बन गए हैं।

HOW TO USE IT

चीन का विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता बन जाना वैश्विक भू-राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक मूलभूत परिवर्तन को दर्शाता है। चीन

विकासशील देशों में अवसंरचना-आधारित प्रभाव (BRI) से आगे बढ़कर अब समृद्ध देशों को लक्षित करते हुए अधिक **व्यावसायिक-उन्मुख ऋण रणनीति** अपना रहा है। यह भारत के लिए जटिल चुनौतियाँ उत्पन्न करता है—क्योंकि भारत एक ओर चीन का रणनीतिक प्रतिस्पर्धी है, वहीं दूसरी ओर एक प्रमुख वित्तीय लाभार्थी भी है। सीमा तनावों के बावजूद यह दोनों देशों के बीच गहरे आर्थिक अंतर्संबंधों को दर्शाता है।

प्राथमिक प्रासंगिकता: GS Paper II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)

---

1. भारत और उसके पड़ोसी — संबंध

कैसे उपयोग करें:

चीन के ऋण को भारत के निकट एवं विस्तारित पड़ोस में उसकी विदेश नीति के प्रमुख साधन के रूप में विश्लेषित करें।

मुख्य बिंदु:

• 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' और रणनीतिक घेराबंदी

दक्षिण एशिया (पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि) और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का भारी ऋण बंदरगाह एवं अवसंरचना को वित्त देता है, जो 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति का आधार है—जो भारत को रणनीतिक रूप से घेरने की क्षमता रखता है।

• निर्भरता और प्रभाव

छोटे पड़ोसी देशों में ऋण-निर्भरता पैदा कर चीन उनके घरेलू और विदेश नीति निर्णयों को प्रभावित कर सकता है, जिससे भारत की क्षेत्रीय स्थिति कमजोर पड़ सकती है।

---

2. भारत और वैश्विक/क्षेत्रीय समूहings एवं समझौते

कैसे उपयोग करें:

चीन के ऋण को BRI और अन्य वैश्विक वित्तीय संस्थानों के परिप्रेक्ष्य में रखना।

मुख्य बिंदु:

• BRI बनाम भारतीय पहलें

BRI (जो शुरुआत में चीन की 75% वैश्विक ऋण गतिविधियों का आधार था) भारत की परियोजनाओं—INSTC, अफ्रीका/मध्य एशिया कनेक्टिविटी—से सीधा प्रतिस्पर्धा करता है।

• बहुपक्षवाद के लिए चुनौती

चीन का विश्व बैंक और IMF को पीछे छोड़कर प्रमुख वैश्विक ऋणदाता बनना पश्चिम-नेतृत्व वाले वैश्विक वित्तीय ढांचे को चुनौती देता है। भारत को पारदर्शिता-रहित चीनी ऋण मॉडल से सावधान रहते हुए **पुनःसंरचित बहुपक्षवाद** की वकालत करनी होगी।

---

3. विकसित और विकासशील देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव

कैसे उपयोग करें:

चीन की ऋण रणनीति के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों का विश्लेषण।

मुख्य बिंदु:

• "भारत–चीन वित्तीय विरोधाभास"

भारत चीन से ऋण लेने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल है ($161.1 बिलियन)।
यह आर्थिक पारस्परिकता राजनीतिक-सैन्य प्रतिद्वंद्विता के साथ एक **नीतिगत द्वंद्व** उत्पन्न करती है।

• वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव

चीन का अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे उच्च-आय वाले देशों को भी भारी ऋण देना वैश्विक वित्तीय शक्ति संरचना में दीर्घकालिक बदलाव का संकेत है—जिसका प्रभाव एशिया और भारत पर भी पड़ेगा।

प्राथमिक प्रासंगिकता: GS Paper III (अर्थव्यवस्था, सुरक्षा)

---

1. भारतीय अर्थव्यवस्था—संसाधन, विकास और नियोजन संबंधी मुद्दे

कैसे उपयोग करें:

ऋण लेने वाले देशों के लिए आर्थिक तर्क और जोखिमों का विश्लेषण।

मुख्य बिंदु:

• 'ऋण-जाल कूटनीति' (Debt-Trap Diplomacy)

श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि अस्थिर ऋण देशों को **रणनीतिक परिसंपत्तियों के नुकसान** की ओर धकेल सकता है।
रिपोर्ट में "ऋण पुनर्गठन जो चीन के हितों को बढ़ाता है" और "विदेशी परिसंपत्तियों के बैकडोर अधिग्रहण" का उल्लेख है।

• अपारदर्शी ऋण (Opaque Lending)

विश्व बैंक की तुलना में चीनी ऋण अनुबंध अधिक गुप्त होते हैं—जिससे देशों की आर्थिक स्थिरता पर छिपे जोखिम पैदा होते हैं।

---

2. आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ

कैसे उपयोग करें:

बाहरी वित्तीय गतिविधियों को आंतरिक सुरक्षा जोखिमों से जोड़ें।

मुख्य बिंदु:

• धन शोधन और अवैध वित्तीय प्रवाह की संभावना

रिपोर्ट में "सिंडिकेट्स और ऑफशोर खातों के माध्यम से मुनाफे की निकासी" का उल्लेख है—जो मनी-लॉन्ड्रिंग, संगठित अपराध और आतंक-वित्त पोषण से जुड़ सकता है, जिससे आंतरिक एवं क्षेत्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

"ड्राफ्ट बीज विधेयक क्या है?"

1. पृष्ठभूमि / संदर्भ

- **जारीकर्ता:** केंद्रीय कृषि मंत्रालय
- **तारीख:** 12 नवंबर (सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए खुला, 11 दिसंबर तक)
- **उद्देश्य:**
  - बीज गुणवत्ता पर नियामक निगरानी को मजबूत करना
  - "Ease of Doing Business" को बढ़ावा देना
  - अनुपालन बोझ कम करना
  - गंभीर उल्लंघनों पर दंड सुनिश्चित करना
- **संबंधित कानून:** Seeds Act, 1966 और Seeds (Control) Order, 1983 में संशोधन प्रस्तावित

---

2. नया विधेयक क्यों आवश्यक? (ऐतिहासिक संदर्भ)

- **बीज उद्योग की मांग:**
  - 1966 का कानून पुराना; तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति, बीज व्यापार में बदलाव को ध्यान में रखकर सुधार आवश्यक
- **कृषि मांग-सप्लाई आंकड़े (2023–24):**
  - आवश्यकता: 462.31 लाख क्विंटल
  - उपलब्धता: 508.60 लाख क्विंटल
  - अधिशेष: 46.29 लाख क्विंटल
- **उद्योग की प्रतिक्रिया:**
  - "टाइमली और आवश्यक सुधार" के रूप में स्वागत
- **किसानों की प्रतिक्रिया:**
  - Samyukt Kisan Morcha और अन्य समूह "कृषक-विरोधी" प्रावधानों का विरोध करने की योजना

---

3. ड्राफ्ट बीज विधेयक की मुख्य व्यवस्थाएँ

A. नियामक तंत्र

- आयात, निर्यात, उत्पादन और वितरण का नियमन

- न्यूनतम गुणवत्ता मानक सुनिश्चित

B. किसानों के अधिकार

- किसान बीज उगाने, बोने, पुन: बोने, साझा करने और बेचने में स्वतंत्र
- प्रतिबंध: **वाणिज्यिक लेबल वाले बीज** बेचने पर

C. बीज पंजीकरण

- पंजीकरण आधार: प्रदर्शन, आनुवंशिक/भौतिक शुद्धता, स्वास्थ्य मानक
- **केंद्रीय बीज समिति:** 27 सदस्य, पंजीकरण मानक की सिफारिश और बीज प्रदर्शन का आकलन

D. किसानों की सुरक्षा

- PPV&FRA (2001) के अनुरूप प्रावधान
- गुणवत्ता मानकों को सख्त बनाना

---

4. अपराध और दंड (2019 ड्राफ्ट से तुलना)

- **नई ड्राफ्ट:**
  - जुर्माने: ₹50,000 – ₹30 लाख
  - जेल: अधिकतम 3 वर्ष
- **2019 ड्राफ्ट:**
  - जुर्माने: ₹25,000 – ₹5 लाख
  - जेल: अधिकतम 1 वर्ष
- **खोज और जब्ती:** Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita के अंतर्गत

---

5. केंद्रीय और राज्य बीज समितियों के प्रावधान

केंद्रीय बीज समिति

- 27 सदस्य
- बीज प्रमाणन, गुणवत्ता मानक, पंजीकरण प्रक्रियाओं की निगरानी
- न्यूनतम गुणवत्ता मानक संशोधन की सिफारिश

राज्य बीज समितियाँ

- बीज उत्पादक, प्रसंस्कर्ता, डीलरों की निगरानी
- उल्लंघनों पर पंजीकरण निलंबित या रद्द करने की शक्ति

---

6. किसानों के समूहों द्वारा उठाई गई चिंताएँ

A. कॉरपोरेट नियंत्रण का भय

- बढ़ती कॉर्पोरेट प्रविष्टि और प्रभाव
- बीज व्यापार में एकाधिकार और शोषक मूल्य निर्धारण का डर

B. किसानों के अधिकारों के साथ टकराव

- PPV&FRA, 2001, Biological Diversity Act और अंतरराष्ट्रीय संधियों के साथ विरोधाभास न हो

MENTORA IAS "YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

C. अपराधीकरण का जोखिम

- बीज परीक्षण में विफलता
- अत्यधिक विनियमन
- उच्च दंड से छोटे किसानों पर प्रभाव

D. बड़े राजनीतिक मुद्दे

- छोटे किसानों का निष्कासन
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ
- कॉरपोरेट-केंद्रित कृषि

---

7. सारांश (लेख के अनुसार)

1. **सुधार की आवश्यकता:**
   - 1966 का कानून आधुनिक तकनीक और बाजार परिवर्तनों के अनुरूप नहीं
2. **नया विधेयक सुनिश्चित करता है:**
   - उल्लंघनों पर सख्त दंड, व्यापार की सुविधा, गुणवत्ता नियमन
3. **नए नियामक संस्थान:**
   - केंद्रीय और राज्य स्तर पर बीज परीक्षण प्रयोगशालाएँ
4. **किसानों की आलोचना:**
   - विधेयक कॉर्पोरेट्स को लाभ पहुँचा सकता है
   - शोषक मूल्य निर्धारण, बढ़ी लागत, खेती की लागत में वृद्धि

---

8. मुख्य निष्कर्ष

ड्राफ्ट बीज विधेयक बीज नियमन को आधुनिक बनाने का प्रयास है:

- **सख्त दंड**,
- **कड़ी गुणवत्ता मानक**,
- **संस्थागत सुधार**

फिर भी, किसानों के समूह इसके कॉरपोरेट उन्मुख और उच्च लागत प्रभावों को लेकर चिंतित हैं।

HOW TO USE IT

ड्राफ्ट बीज विधेयक भारत के पुरानी बीज नियामक ढांचे को आधुनिक बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना और "Ease of Doing Business" को प्रोत्साहित करना है। हालांकि, यह विधेयक एक क्लासिक नीति द्वंद्व के केंद्र में है: बीज गुणवत्ता नियंत्रण, तकनीकी नवाचार और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना बनाम किसानों के अधिकार, बीज संप्रभुता और किफायती कीमत सुनिश्चित करना।

प्राथमिक प्रासंगिकता: GS Paper III (कृषि, अर्थव्यवस्था)

1. सीधे और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे

कैसे उपयोग करें: विधेयक का प्रभाव खेती की लागत और इनपुट सब्सिडी पर विश्लेषित करें।

मुख्य बिंदु:

- **खेती की लागत:** किसानों के समूहों का तर्क है कि विधेयक कॉर्पोरेट्स को "शोषक बीज मूल्य निर्धारण" की अनुमति दे सकता है, जिससे खेती की लागत बढ़ेगी और इनपुट सब्सिडी की प्रभावशीलता प्रभावित होगी।
- **औपचारिकता की ओर बदलाव:** विधेयक बीज क्षेत्र को औपचारिक बनाता है। यह गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, लेकिन छोटे, अनौपचारिक बीज उत्पादकों और विक्रेताओं को हाशिए पर डाल सकता है, जिससे किसानों के लिए किफायती स्थानीय विकल्प कम हो सकते हैं।

2. कृषि में प्रौद्योगिकी मिशन

कैसे उपयोग करें: विधेयक को कृषि में तकनीकी नवाचार को सक्षम करने वाले रूप में प्रस्तुत करें।

मुख्य बिंदु:

- **नवाचार को बढ़ावा:** बीज उद्योग का समर्थन तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता पर आधारित है।
- **गुणवत्ता आश्वासन:** प्रदर्शन और शुद्धता पर आधारित पंजीकरण से सुनिश्चित होता है कि किसानों को भरोसेमंद उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिलें, जो उत्पादकता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

3. खाद्य सुरक्षा और बफर स्टॉक्स

कैसे उपयोग करें: बीज की गुणवत्ता और उपलब्धता को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जोड़ें।

मुख्य बिंदु:

- बीज उपलब्धता में अधिशेष (508.60 लाख क्विंटल बनाम 462.31 लाख क्विंटल आवश्यकता) सकारात्मक है।
- गुणवत्ता नियंत्रण सुदृढ़ करने से यह मात्रा उच्च फसल उत्पादन में बदल सकती है, जो सीधे खाद्य सुरक्षा का समर्थन करता है।

प्राथमिक प्रासंगिकता: GS Paper II (गवर्नेंस, सामाजिक न्याय)

1. विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

कैसे उपयोग करें: कृषि क्षेत्र में सरकार के प्रमुख हस्तक्षेप के रूप में विधेयक का मूल्यांकन करें।

मुख्य बिंदु:

- **नियामक आधुनिकरण:** यह विधेयक 1966 के पुरानी कानून को बदलकर केंद्रीय और राज्य स्तर की नई संस्थाएँ स्थापित करता है।
- **Ease of Doing Business बनाम किसान कल्याण:** बीज उद्योग के लिए "ease of doing business" का उद्देश्य किसानों की "कॉर्पोरेट नियंत्रण" की चिंता से टकराता है, जो नीति निर्माण में competing interests को संतुलित करने की चुनौती दर्शाता है।

2. कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएँ

कैसे उपयोग करें: छोटे और सीमांत किसानों के कल्याण पर विधेयक के प्रभाव का आकलन करें।

मुख्य बिंदु:

- **अधिकारों की सुरक्षा:** विधेयक किसानों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से सुरक्षित करता है—खेत में उगाए बीज का उपयोग, आदान-प्रदान और बिक्री करना।
- **आपराधिककरण का जोखिम:** "अत्यधिक विनियमन" और उच्च दंड से छोटे किसान मामूली उल्लंघनों के लिए अनजाने में अपराधी ठहर सकते हैं, जिससे सबसे कमजोर वर्ग प्रभावित हो सकता है।

GS Paper IV (Ethics) से लिंक

- **नैतिक शासन:** बहस कॉर्पोरेट दक्षता और नवाचार को बढ़ावा देने और किसानों के लिए न्याय और समानता बनाए रखने के बीच नैतिक टकराव को दर्शाती है।
- **पारदर्शिता और परामर्श:** सार्वजनिक टिप्पणियों को आमंत्रित करना भागीदारीपूर्ण शासन का उदाहरण है। नागरिक अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह फीडबैक विधेयक में संतुलित और न्यायसंगत रूप से शामिल हो।

तमिलनाडु में पुलिस बल प्रमुख के चयन को लेकर विवाद

1. पृष्ठभूमि / अब तक की कहानी

तमिलनाडु में नियमित पुलिस महानिदेशक (DGP) / पुलिस बल प्रमुख (HoPF) की नियुक्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है।

- कई वर्षों में पहली बार राज्य समय पर नियमित DGP नियुक्त नहीं कर सका।

- सेवानिवृत्त होने वाले DGP जी. वेंकटारामा (1994 बैच IPS, वरिष्ठतम) के बाद वरिष्ठतम IPS अधिकारी को अंतरिम DGP के रूप में नियुक्त किया गया।

---

2. सरकार का रुख

- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने TN सरकार द्वारा पहले भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर तीन DGP-रैंक अधिकारियों के नाम शॉर्टलिस्ट किए।
- तमिलनाडु सरकार ने कहा कि ये नाम "स्वीकार्य नहीं" हैं।
- TN के कानून मंत्री ने केंद्र और UPSC पर आरोप लगाया कि वे राज्य की राय को अनदेखा कर अपने पसंद के अधिकारियों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
- DGP नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए मुख्य सचिव शिव दास मीना और अन्य के खिलाफ दो अवमानना याचिकाएँ दायर की गईं।

---

3. सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश (प्रकाश सिंह केस, 2006)

A. चयन के मानदंड

- UPSC को तीन वरिष्ठतम अधिकारियों के नाम शॉर्टलिस्ट करने होते हैं, जो DGP रैंक के लिए एंपेनल्ड हों।
- चयन में ध्यान देने योग्य बिंदु:
  - सेवा की लंबाई
  - उत्कृष्ट रिकॉर्ड
  - अनुभव की विविधता

B. कार्यकाल

- चयनित DGP को न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल दिया जाना चाहिए, भले ही वह सेवानिवृत्त हो।

C. राज्य सरकार की जिम्मेदारियाँ

- DGP पद खाली होने से 3 महीने पहले UPSC को प्रस्ताव भेजना।
- UPSC के विचार के लिए योग्य अधिकारियों की सूची भेजना।

---

4. तमिलनाडु द्वारा दिशानिर्देशों से विचलन

- TN ने 3 महीने पहले प्रस्ताव UPSC को नहीं भेजे।
- सेवानिवृत्त DGP शंकर जिवाल 30 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त हुए।

- राज्य को जून तक प्रस्ताव भेजने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने केवल 29 अगस्त 2025 को भेजे।
- UPSC ने वरिष्ठ अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट कर TN को नाम भेजे।

---

5. अवमानना मुद्दा क्यों उत्पन्न हुआ?

- अधिकारी हेनरी टिफाग्ने ने आरोप लगाया कि राज्य ने नियमित DGP नियुक्ति में देरी करके SC के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया।
- एक अधिकारी का नाम CAT आदेश के आधार पर पैनल से बाहर किया गया।
- CAT ने उसका आवेदन 30 अप्रैल 2025 को खारिज किया।
- सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को "तत्काल कार्रवाई" करने के निर्देश दिए।

---

6. सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप के बाद विकास

- UPSC ने 26 सितंबर 2025 को TN मुख्य सचिव के साथ एंपेनलमेंट कमिटी की बैठक बुलाई।
- निरीक्षण में पाया गया:
  - राज्य ने एक अधिकारी का ईमानदारी प्रमाणपत्र रोक रखा था।
  - राज्य ने तीन अधिकारियों को एंपेनल करने में अनिच्छा जताई।
- UPSC ने फिर भी वरिष्ठतम अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट कर सिफारिश भेजी।
- TN ने फिर आपत्ति जताई, UPSC ने पुनर्विचार से इंकार कर दिया।

---

7. वर्तमान स्थिति

- याचिकाकर्ता किशोर कृष्णास्वामी ने नई अवमानना याचिका दायर की:
  - राज्य जानबूझकर DGP नियुक्ति में देरी कर रहा है।
  - IPS अधिकारियों के पैनल से एक उम्मीदवार को बाहर कर रहा है।
- सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से तीन हफ्ते में जवाब मांगा।

---

8. सारांश (लेख के अनुसार)

- DGP नियुक्तियों को प्रकाश सिंह निर्णय नियंत्रित करता है।
- राज्य को DGP पद खाली होने से 3 महीने पहले UPSC को प्रस्ताव भेजने चाहिए।

- UPSC ने 26 सितंबर 2025 को TN मुख्य सचिव के साथ एंपेनलमेंट कमिटी की बैठक बुलाई।

HOW TO USE IT

यह मामला केंद्र सरकार (UPSC के माध्यम से) और राज्य सरकार के बीच वरिष्ठ पुलिस प्रशासन के नियंत्रण को लेकर एक महत्वपूर्ण संघर्ष को दर्शाता है। यह प्रकाश सिंह मामले (2006) में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों के पालन की परीक्षा है, जिन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप से पुलिस नियुक्तियों को बचाने और निश्चित कार्यकाल के माध्यम से स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था। यह घटना पुलिस सुधारों और सहयोगात्मक संघवाद (Cooperative Federalism) को लागू करने में लगातार आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है।

प्राथमिक प्रासंगिकता: GS पेपर II (Governance, Constitution, Polity)

---

1. विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थाएँ

कैसे उपयोग करें: यह मुद्दे का मूल है। सुप्रीम कोर्ट (न्यायपालिका) ने प्रक्रिया निर्धारित की है, UPSC (कार्यकारी एजेंसी) इसे लागू कर रही है, और राज्य सरकार (कार्यपालिका) इसका विरोध कर रही है।

मुख्य बिंदु:

- **न्यायिक सक्रियता बनाम राज्य स्वायत्तता:** प्रकाश सिंह निर्णय (2006) न्यायिक सक्रियता का प्रमुख उदाहरण है, जिसका उद्देश्य कार्यपालिका में सुधार करना था। वर्तमान अवमानना याचिकाएँ दिखाती हैं कि जब कार्यपालिका पालन नहीं करती, तो न्यायपालिका अपने निर्देशों को लागू करने में सक्रिय रहती है।
- **संवैधानिक निकायों की भूमिका:** संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए संवैधानिक रूप से नियुक्त है, ताकि राज्य स्तर पर राजनीतिक हस्तक्षेप को न्यूनतम किया जा सके।

---

2. केंद्र और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियाँ, संघीय संरचना से जुड़े मुद्दे और चुनौतियाँ

कैसे उपयोग करें: इस घटना को केंद्र-राज्य संबंधों में एक झलक के रूप में विश्लेषित करें।

मुख्य बिंदु:

- **राज्य विषय पर अतिक्रमण?:** पुलिस राज्य विषय है (सातवाँ अनुसूची, सूची II) के तहत। राज्य सरकार का आरोप

कि केंद्र/UPSC "राज्य की राय की अनदेखी कर रहे हैं" और "अपने पसंद के अधिकारियों को प्राथमिकता दे रहे हैं," इसे संघीय भावना का उल्लंघन और केंद्रीय अतिक्रमण के रूप में प्रस्तुत करता है।

- **राष्ट्रीय हित बनाम राज्य स्वायत्तता:** UPSC को शामिल करने का सुप्रीम कोर्ट का तर्क यह है कि यह बेहतर प्रशासन और पेशेवर पुलिसिंग को बढ़ावा देता है, जो व्यापक राष्ट्रीय हित में है। यह प्रशासनिक मामलों में राज्य स्वायत्तता के सिद्धांत के साथ तनाव उत्पन्न करता है।

---

3. विभिन्न संवैधानिक निकायों में नियुक्तियाँ

कैसे उपयोग करें: DGP नियुक्ति की विशिष्ट प्रक्रिया को समझें।

मुख्य बिंदु:

- सुप्रीम कोर्ट ने DGP/HoPF नियुक्ति के लिए UPSC को शामिल करने वाली विशिष्ट, अनिवार्य प्रक्रिया बनाई है। यह प्रक्रिया पारंपरिक, अक्सर राजनीतिक रूप से प्रभावित, राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति के तरीके से ऊपर है।

---

4. प्रशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू

कैसे उपयोग करें: राज्य सरकार की कार्रवाई को प्रशासन की विफलता के रूप में आलोचना करें।

मुख्य बिंदु:

- **प्रक्रियात्मक प्रशासन में विफलता:** राज्य सरकार की "3 महीने पहले प्रस्ताव न भेजने" की विफलता स्पष्ट प्रशासनिक विफलता है, जिसने पूरी संकट की स्थिति उत्पन्न की।
- **पारदर्शिता की कमी:** राज्य की कार्रवाई—एक अधिकारी का ईमानदारी प्रमाणपत्र रोकना और बिना स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ कारणों के अधिकारियों को एंपेनल करने में अनिच्छा—पारदर्शिता की कमी और राजनीतिक रूप से अनुकूल अधिकारी नियुक्त करने की संभावित मंशा को दर्शाती है।

Publish or Perish: भारत में शोध धोखाधड़ी महामारी की समझ

---

1. मूल समस्या

वैश्विक स्तर पर शोध धोखाधड़ी बढ़ रही है, जिसे AI उपकरण और तकनीकी साधन और बढ़ा रहे हैं।

भारत इस समस्या से गंभीर रूप से प्रभावित है क्योंकि:

- प्रकाशनों और उनकी रिट्रैक्शन्स में भारी वृद्धि हुई है।
- कई धोखाधड़ीपूर्ण प्रकाशन बिना पकड़े रह जाते हैं।
- भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) में "Publish or Perish" संस्कृति हावी है।

---

2. प्रकाशन दबाव के प्रमुख कारण

A. शिक्षण की तुलना में प्रकाशन को प्राथमिकता

- UGC और HEIs शोध उत्पादन को शिक्षण पर वरीयता देते हैं:
  - फैकल्टी प्रमोशन
  - कैरियर उन्नति
  - संस्थागत रैंकिंग

B. दो मुख्य विचार

1. **HEI रैंकिंग्स**
   - रैंकिंग्स में प्रकाशन को अधिक महत्व दिया जाता है।
   - फैकल्टी अधिक शोध पत्र प्रकाशित करने के लिए दबाव में रहते हैं।
   - सार्वजनिक संस्थान भी प्रतिस्पर्धात्मक बने रहने के लिए रैंकिंग्स को महत्व देते हैं।
2. **सिद्धांत कि शोध शिक्षण में सुधार करता है**
   - यह मान लिया जाता है कि शोधकर्ता बेहतर शिक्षक बनते हैं।
   - प्रमाण पूर्ण रूप से इस दावे का समर्थन नहीं करते—शिक्षण की गुणवत्ता पर प्रभाव सीमित है।

---

3. API (Academic Performance Indicator) प्रणाली की समस्याएँ

- 2010 में CAS (Career Advancement Scheme) के हिस्से के रूप में पेश की गई।
- फैकल्टी मूल्यांकन में प्रकाशनों को अत्यधिक महत्व देती है।
- संशोधनों के बावजूद प्रकाशन का वजन अभी भी प्रमुख है।
- परिणाम: शोध को प्राथमिकता दी जाती है, शिक्षण उपेक्षित हो जाता है।

---

4. "Publish or Perish" के परिणाम

A. फैकल्टी व्यवहार

- फैकल्टी जल्दी, निम्न-गुणवत्ता या धोखाधड़ीपूर्ण शोध पर ध्यान केंद्रित करती है।
- छात्र भी धोखाधड़ीपूर्ण पत्र प्रकाशित करते हैं:
  - संस्थागत रैंकिंग बढ़ाने के लिए
  - व्यक्तिगत शैक्षणिक लाभ के लिए

B. शैक्षणिक धोखाधड़ी उद्योग का विकास

- प्रकाशक और 'predatory journals' लाभ कमाते हैं।
- फर्जी सम्मेलन, घोस्टराइटिंग और पेपर मिल्स फलते-फूलते हैं।

C. प्रशासनिक विफलताएँ

- फैकल्टी को संतुलन बनाना मुश्किल होता है:
  - शिक्षण
  - शोध
  - प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ
- बिना यथार्थवादी अपेक्षाओं या समर्थन के, शोध उत्पादन अर्थहीन या अनैतिक बन जाता है।

---

5. वर्तमान शोध पर जोर क्यों misplaced है

A. संस्थागत संदर्भ

- अधिकांश HEIs के पास पर्याप्त शोध अवसंरचना, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय या वित्तपोषण नहीं हैं।
- शोध संस्कृति कमजोर है।

B. छात्र संदर्भ

- 80% HEI छात्र स्नातक स्तर के हैं, जिन्हें मुख्य रूप से बेहतर शिक्षक चाहिए, शोधकर्ता नहीं।
- शिक्षण पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल शोध उत्पादन।

C. शिक्षण और शोध के बीच कमजोर संबंध

- स्नातक कॉलेज आमतौर पर भारी शोध की आवश्यकता नहीं रखते।
- शोध को प्रोत्साहित करना स्नातक शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार नहीं करता।

---

6. शिक्षण पर लौटना (लेखक का सुझाव)

शोध की बजाय शिक्षण को प्राथमिकता देने के कारण:

- **शिक्षण की गुणवत्ता महत्वपूर्ण:** स्नातक शिक्षा प्रभावित होती है जब फैकल्टी केवल प्रकाशनों के पीछे भागती है।

MENTORA IAS "YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

- **शोध अवसंरचना कमजोर:** अधिकांश HEIs सार्थक शोध का समर्थन नहीं कर सकती।
- **धोखाधड़ी में कमी:** दबाव कम होने से अनैतिक प्रथाओं में कमी आ सकती है।

नीति सुझाव:

- फैकल्टी मूल्यांकन में शिक्षण को अधिक महत्व देना चाहिए, विशेष रूप से उन संस्थानों में जो स्नातक शिक्षा पर केंद्रित हैं।

---

7. लेखक का अंतिम तर्क

- शोध को प्राथमिकता देने का तर्क दोषपूर्ण है क्योंकि भारत के HEIs में शोध क्षमता सीमित है।
- छात्रों को शोध उत्पादन की तुलना में अच्छे शिक्षक की आवश्यकता है।
- परिणाम:
  - रैंकिंग बढ़ सकती है लेकिन ज्ञान की गुणवत्ता घटती है।
  - धोखाधड़ी संस्थागत बन जाती है।
- बेहतर शिक्षण, जबरदस्ती प्रकाशन के बजाय, भारत की उच्च शिक्षा रणनीति को परिभाषित करना चाहिए।

HOW TO USE IT

भारत की उच्च शिक्षा नीति ने **मात्रात्मक शोध उत्पादन को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर प्राथमिकता देकर** ऐसा प्रलोभन संरचना (perverse incentive structure) बना दिया है, जिसने शोध धोखाधड़ी (research fraud) की महामारी को बढ़ावा दिया है। नीति के उद्देश्यों और संस्थागत वास्तविकता के बीच यह असंगति विश्वविद्यालयों के मूल उद्देश्य को कमजोर करती है, शैक्षणिक ईमानदारी (academic integrity) का मूल्य घटाती है, और मुख्य हितधारक—स्नातक छात्र—के लिए असफल साबित होती है।

प्राथमिक प्रासंगिकता: GS पेपर II (गवर्नेंस, सामाजिक न्याय)

1. सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे (स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन)

उपयोग: यह मुख्य क्षेत्र है। यह संकट सीधे दोषपूर्ण नीति और उसकी खराब प्रबंधन प्रणाली का परिणाम है।

मुख्य बिंदु:

- **दोषपूर्ण नीति प्रोत्साहन (API सिस्टम):**
  - फैकल्टी प्रमोशन के लिए प्रस्तुत Academic Performance Indicator (API) प्रणाली में शोध प्रकाशनों

को अत्यधिक महत्व दिया गया।

- इससे "Publish or Perish" संस्कृति पैदा हुई, जहाँ पत्रों की संख्या शिक्षण की गुणवत्ता या शोध की ईमानदारी से अधिक महत्व रखती है।

- **भ्रामक रैंकिंग प्रणाली:**
  - राष्ट्रीय और वैश्विक संस्थागत रैंकिंग (जैसे NIRF) जो प्रकाशन की मात्रा को अत्यधिक पुरस्कृत करती हैं, शिक्षण-केंद्रित कॉलेजों को भी शोध को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर करती हैं, जबकि उनके पास इसका आवश्यक अवसंरचना या संस्कृति नहीं है।

- **गवर्नेंस विफलता:**
  - "Predatory journals" और "paper mills" का तेजी से विस्तार UGC जैसे नियामक संस्थानों की गुणवत्ता नियंत्रण और शैक्षणिक नैतिकता सुनिश्चित करने में विफलता को दर्शाता है।

---

2. गवर्नेंस, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू

उपयोग: संस्थागत जवाबदेही की प्रणालीगत कमी का विश्लेषण करें।

मुख्य बिंदु:

- **जवाबदेही की कमी:**
  - वर्तमान प्रणाली केवल शोध की मात्रा के लिए जिम्मेदार ठहराती है, गुणवत्ता या प्रामाणिकता के लिए नहीं। यह संस्थागत और व्यक्तिगत स्तर पर गवर्नेंस विफलता है।

- **संस्थागत ईमानदारी का क्षय:**
  - जब धोखाधड़ी को शीर्ष-नीति लक्ष्यों को पूरा करने के लिए "संस्थागत रूप से" स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह पूरे उच्च शिक्षा प्रणाली की नैतिक नींव को कमजोर कर देता है।

अन्य GS पेपर्स से लिंक

GS पेपर IV (नैतिकता, ईमानदारी और योग्यता)

- **शासन में नैतिकता:**
  - यह संकट गंभीर नैतिक कमी (ethical deficit) में निहित है।

- प्रमोशन और रैंकिंग के पीछे भागने से शैक्षणिक ईमानदारी ढह रही है, फैकल्टी और छात्र धोखाधड़ीपूर्ण प्रथाओं में शामिल हो रहे हैं।

- **नैतिक जिम्मेदारी:**
  - विश्वविद्यालय शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी क्या है? लेख कहता है कि यह **पहले एक अच्छा शिक्षक होना** है। वर्तमान प्रणाली में एक नैतिक संघर्ष पैदा होता है—कैरियर उन्नति (धोखाधड़ीपूर्ण प्रकाशन) और प्राथमिक कर्तव्य (ईमानदार शिक्षण) के बीच चुनाव।

- **सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी:**
  - सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की फैकल्टी बड़े सार्वजनिक सेवा तंत्र का हिस्सा हैं। शोध धोखाधड़ी में शामिल होना या नजरअंदाज करना **ईमानदारी (probity) के सिद्धांतों का उल्लंघन** है।

MENTORA IAS "YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"